कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

दूरभाष स.0294-2421255, 2420013, Helpline no.0294-2426262 वेबसाइट. www-udaipurmc.org.com

क्रमांकः– डे.एन.यु.एल.एम./2022–23/306 दिनांकः– 15/11/2022.

आश्रय स्थलों के संचालन कार्य हेतु
तकनीकी निविदा का प्रस्ताव आमंत्रण

सर्वसाधारण विशेष रूप से रजिस्टर्ड गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं, एरिया लेवल फेडरेशन/सिटी लेवल फेडरेशन एवं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी (C.S.R.) के अन्तर्गत सहयोग देने वाली कम्पनीज/संस्थाओं (जिन्हें आगे चलकर आवेदनकर्ता/संस्था सम्बोधित किया जाएगा) को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में नगर निगम द्वारा उदयपुर शहर के नगरीय क्षेत्र में दीनदयाल अन्त्योदय योजना NULM के अन्तर्गत सात विभिन्न स्थानों पर स्थित आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आश्रय स्थलों के संचालन हेतु वित्तीय निविदा के स्थान पर तकनीकी निविदा के माध्यम से योग्य एवं अनुभवी संस्थाओं का चयन करते हुए आश्रय स्थलों का संचालन करवाया जाना है। उक्त निर्देशो की पालना में तकनीकी निविदा हेतु प्रस्ताव संलग्न आवेदन पत्र में आमंत्रित किये जाते है। निविदा से सम्बंधित प्रपत्र व जानकारी SPPP Portal पर देखी जा सकती है। आवेदन पत्र दिनांक 15.11.22 से दिनांक 23.11.22 समय 1 PM तक कार्यालय नगर निगम के कक्ष सं. 63 से प्राप्त किये जा सकते हैं। भरे हुए आवेदन दिनांक 23.11.22 को समय 5.30PM तक जमा कराए जा सकेगे। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित दिनांक तक प्राप्त समस्त आवेदन पत्रो को उसी दिन दोपहर 3:00 बजे उपस्थित आवेदनकर्ता के समक्ष खोला जाएगा। पात्रता के परिणाम 5 कार्य दिवसो मे घोषित कर दिये जाएगें। आवेदन पत्र का शुल्क 500+18% GST=590/रू प्रति आवेदन पत्र होगा जो नकद भुगतान या आयुक्त नगर निगम उदयपुर के नाम डी.डी द्वारा जमा कराना होगा। चेक स्वीकार्य नही होगा तथा आवेदन पत्र आश्रय स्थल वार पृथक–पृथक प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन पत्र का शुल्क रिफण्डेबल नहीं होगा। आवेदन के साथ संभावित वार्षिक वित्तीय सहायता राशि के 2% मूल्य के बराबर बोली प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा।

UBN No_____

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

प्रतिलिपिः–

1. नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए।
2. कम्प्युटर ऑपरेटर को SPPP Portal पर आज ही अपलोड करने हेतु दी जाए।

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

2. **संचालित आश्रय स्थलों का विवरण**

जिन सात आश्रय स्थलों का संचालन हो रहा है उनके नाम व पते व क्षमता तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जानी वाली संभावित वार्षिक संचालन व्यय की राशि निम्नानुसार है। उक्त कॉलम सं 14 मे दर्शाई गई राशि सांकेतिक है। राज्य सरकार द्वार स्वीकृत की जाने वाली राशि के अनुसार संचालन व्यय का पुनर्भरण किया जाएगा।

क्र.सं.	आश्रय स्थल पूर्ण पते सहित	क्षमता	राज्य सरकार द्वारा संभावित स्वीकृत की जाने वाली राशि (लाख रू वार्षिक)
1	2	3	4
1	गुरू गोविन्द सिंह स्कुल के सामने चेटक सर्कल	80	6.00
2	पहाडी बस स्टेण्ड चेटक सर्कल	25	3.00
3	प्रतापनगर सुखेर रोड	100	6.00
4	रेती स्टेण्ड किसान भवन के सामने	50	5.00
5	उदियापोल सेक्टर ऑफिस के उपर	20	2.40
6	गोवर्धन विलास चुंगी नाका से 14	100	6.00
7	मल्लातलाई आश्रय स्थल सज्जननगर पुलिस चौकी के पास	50	5.00

आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि उक्त आश्रय स्थलों के संचालन का कार्य जहाँ है जैसा है के आधार पर दिया जाएगा अतः आवेदनकर्ता आवेदन से पूर्व आश्रय स्थलों पर मौजूद सुविधाओं का भलीभाँति निरीक्षण कर लें।

3. **चयनित संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण**

(1) आश्रय स्थल बिना किसी अवकाश के वर्ष के 365 दिन संचालित किये जाने है अतः संचालन हेतु मानव शक्ति का नियोजन चयनित संस्था को तद्नुसार करना होगा अर्थात् नियुक्त कार्मिकों के साप्ताहिक अवकाश के दिन रिलीवर की व्यवस्था करनी होगी।

(2) आश्रय स्थलों के संचालन हेतु स्वीकृत क्षमता के विरूद्ध बेघर व्यक्तियों की औसत उपस्थिति 30% से अधिक होने पर 3 केयर गिवर्स लगाने होंगे तथा 30 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर 2 केयर गिवर्स लगाने होंगे। केयर गिवर्स में से न्यूनतम एक महिला केयर गिवर को लगाना होगा। इसके अतिरिक्त एक सफाई कर्मचारी व एक मैनेजर लगाना होगा। 50 से कम क्षमता के आश्रय स्थलो पर दो केयर गिवर तथा एक सफाई कार्मिक संचालन हेतु लगाना होगा।

(3) बिन्दु सं. 2 में वर्णित केयर गिवर्स, मैनेजर व सफाई कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के रूप में संस्था द्वारा नियुक्त किये जाऐगे जो संस्था के कार्मिक कहलाएगें। इन्हें राज्य व केन्द्र सरकार/नगर निगम द्वारा स्थाई नहीं किया जाएगा अतः चयनित संस्था नियुक्ति से पूर्व नियुक्त किये जा रहे कार्मिक से शपथ पत्र लेगी कि उसके द्वारा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/नगर निगम में इस कार्य के आधार पर स्थाई/अस्थाई नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जाएगा।

(4) नियुक्त श्रम शक्ति के चरित्र/कार्य शैली की जिम्मेदारी चयनित संस्था की होगी।

(5) केयर गिवर्स, मैनेजर व सफाई कर्मचारी को यूनिफार्म संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी व परिचय पत्र दिया जाएगा। वक्त निरीक्षण यूनिफार्म में न होने परिचय पत्र न होने पर प्रति मौका 100/- रूपये प्रति व्यक्ति की दर से शास्ती आरोपित की जाएगी। इसी प्रकार केयर गिवर्स की अनुपस्थिति होने पर 500/– प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से शास्ती आरोपित की जाएगी।

(6) चयनित संस्था से अपेक्षा होगी कि वो आश्रय स्थल पर ऐसे व्यक्ति लगाए जिनका व्यवहार व आचरण आश्रय विहीन व्यक्तियों के प्रति नम्र रहे। आश्रय स्थल पर संस्था द्वारा लगाए गए व्यक्ति के अभद्र आचरण, नशा करने व अन्य शिकायतें प्राप्त होने पर प्रति शिकायत 500/–रूपये की शास्ती आरोपित की जाएगी तथा निगम के निर्देश पर ऐसे कार्मिक को तत्काल हटाकर अन्य कार्मिक लगाना होगा।

(7) आश्रय स्थल पर नियुक्त कार्मिकों का शिफ्टवार विवरण आश्रय स्थल पर बोर्ड लगाकर प्रदर्शित करना होगा इस विवरण में संस्था का नाम, पता दूरभाष नियुक्त कार्मिकों का नाम पता दूरभाष नं. व शिफ्ट का विवरण होगा।

(8) आश्रय स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं का विवरण बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा एवं आश्रय स्थल के 3 KM परिधि मे आश्रय स्थल पहुचने के दिशासूचक लगवाने होगे।

(9) आश्रय स्थल पर नियुक्त कार्मिकों को श्रम कानूनों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, ई.एस.आई व पी एफ का भुगतान करने की पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी। निगम द्वारा चाहे जाने पर किये गए भुगतान के कार्मिक वार बैंक, स्टेटमेन्ट, ई.एस.आई. व पी.एफ के चालान प्रस्तुत करने होंगे। किसी भी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से कम भुगतान नहीं किया जाएगा।

(10) संस्था द्वारा लगाए गए कार्मिकों की सूचना मय आईडी प्रूफ नगर निगम को उपलब्ध कराई जाएगी तथा किसी नियुक्ति कार्मिक को हटाए जाने पर नव नियुक्त कार्मिक का विवरण निगम को उपलब्ध कराना होगा। निगम को उपलब्ध कराई गई सूचना में दिये गए कार्मिको को स्थान पर अन्य कार्मिक के कार्यरत पाए जाने पर 500/– की शास्ती आरोपित की जाएगी।

(11) उक्त बिन्दु सं. 1 से 10 को संक्षेप में पुनः दोहराया जा रहा है कि लगाए गए केयर गिवर्स, सफाई कर्मचारी व मैनेजर तथा अन्य कोई कार्मिक जो आश्रय स्थल के संचालन हेतु संस्था द्वारा लगाया जाता है, की पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी नगर निगम, राज्य व केन्द्र सरकार का इन कार्मिकों के विषय में कोई दायित्व नहीं होगा।

(12) आश्रय स्थल को पूर्णतयाः स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी संस्था की होगी। सफाई कार्मिक की मजदूरी, सफाई सामग्री यथा फिनाइल, एसिड, झाड़ू, मोप आदि का समस्त व्यय संस्था का होगा।

(13) आश्रय स्थल, शौचालय, स्नानघर, को दिन में कम से कम दो बार स्वच्छ कराना होगा। जिसका औचक निरीक्षण किया जा सकता है। सफाई व्यवस्था संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर 500/– प्रति मौका शास्ती लगाई जाएगी तथा तत्काल सफाई करानी होगी।

(14) आश्रय स्थल पर शुद्ध पेयजल हर समय उपलब्ध कराना होगा। संस्था यदि चाहे तो स्वयं के स्तर पर आर.ओ. लगा सकेगी जो अनुबंध समाप्ति पश्चात् ले जा सकेगी। पेयजल रखने का स्थान स्वच्छ होना चाहिये उसके आसपास पान की पीक आदि गंदगी नहीं होनी चाहिये।

(15) आश्रय स्थल के शौचालय व स्नानघर में 24 घंटे पानी उपलब्ध रहे यह सुनिश्चित करना होगा। स्नानघर व शौचालय में नल आदि टूटे होने पर, पानी उपलब्ध नहीं होने पर 500/– प्रति मौका शास्ती लगाई जाएगी।

(16) शौचालय के उपयोग पश्चात् हाथ धोने हेतु लिक्विड सोप/साबुन व हाथ पौंछने के लिए नेपकीन/टॉवेल उपलब्ध कराना होगा।

(17) बिजली व पानी के बिल का भुगतान संस्था को करना होगा। इसमें यदि नया कनेक्शन लेने की आवश्यकता होती है या सबमीटर लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो सम्पूर्ण व्यय नगर निगम का रहेगा। सबमीटर मे रिडिंग अनुसार आश्रय स्थल के विद्युत उपभोग का बिल संस्था के मासिक भुगतान मे से कटौती कर किया जायेगा।

(18) आश्रय स्थल में उपलब्ध गद्दे, रजाई, कम्बल, दरी एवं कवर आश्रय स्थल की क्षमता अनुसार उपलब्ध है। इनको साफ एवं स्वच्छ रखना संस्था का दायित्व होगा। कवर्स को प्रति 10 दिवस में धुलवाना होगा, गद्दों व रजाई को नियमित रूप से धूप दिखानी होगी, कम्बलों को सर्दी ऋतु में नियमित अन्तराल पर ड्रायक्लीन/धुलवाना होगा। संक्षेप में आश्रय स्थल पर उपलब्ध शयन व्यवस्था स्वच्छ रखनी होगी। शयन व्यवस्था में स्वच्छता न होने पर, कवर्स कम्बल आदि फटे होने पर शयन व्यवस्था संतोषप्रद नहीं मानी जाएगी और प्रति मौका 500/– की शास्ती आरोपित की जा सकेगी।

(19) आश्रय स्थल पर यदि किसी परिस्थिति विशेष में क्षमता से अधिक व्यक्तियों को ठहराना पड़ता है तो अतिरिक्त बिस्तर की व्यवस्था संस्था को करनी होगी।

(20) शीतकाल में आश्रय स्थल को गर्म रखने के लिए हीट ब्लोअर चलाने होगे वर्तमान में एक–एक हीट ब्लोअर आश्रय स्थल पर उपलब्ध है आवश्यकतानुसार अतिरिक्त हीट ब्लोअर की व्यवस्था संस्था को करनी होगी। ये अतिरिक्त हीट ब्लोअर संस्था अनुबंध समाप्ति के पश्चात् ले जा सकेगी।

(21) संस्था को माह में कम से कम दो बार तथा आवशयकतानुसार मच्छरों/कीटों को रोकने क लिए कीटनाशक स्प्रे कराने होगें। कीटनाशक स्प्रे करने का व्यय संस्था द्वारा किया जाकर तिथिवार रेकॉर्ड रखना होगा।

(22) ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी तथा ठहरने वालों का रजिस्टर संधारित किया जाएगा। शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर जाँच उपरान्त शिकायत सत्य पाए जाने पर अनुबंध निरस्त कर भविष्य में भी इस प्रकार के कार्य हेतु विवर्जित करने की कार्यवाही की जाएगी।

(23) संस्था को सदैव निम्नांकित रजिस्टर रखने होगे:–

(1) ठहरने वालों का रजिस्टर (प्रारूप नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा)

(2) आश्रय स्थल की सम्पतियों का रजिस्टर (निगम द्वारा उपलब्ध व संस्था द्वारा सृजित अलग–अलग)

(3) संचालन हेतु नियुक्त कार्मिकों का उपस्थिति रजिस्टर

(4) हाऊस कीपिंग रजिस्टर

(5) शिकायत व सुझाव रजिस्टर

(24) केयर गिवर्स से अपेक्षित होगा कि उन्हें राज्य सरकार की विविध जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हो तथा वे यह जानकारी आश्रय स्थल में ठहरने वालों से साझा कर इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु मार्गदर्शन दें। केयर गिवर्स, मैनेजर को इस बाबत् प्रशिक्षणार्थ निगम कार्यालय भेजा जा सकता है।

(25) आश्रय स्थल में लगे टी.वी. चालू हालत में है तथा इन्हें रिचार्ज कराने। मासिक केबल शुल्क जमा कराने की जिम्मेदारी संस्था की होगी। टी.वी. के खराब होने पर संस्था को स्वयं के व्यय पर तत्काल रिपेयर कराना होगा। अनुबंध समाप्ति के समय टी.वी. चालू हालत में ही लिये जाऐगें। इनमें टूटफूट/खराब होने की जिम्मेदारी संस्था की होगी।

(26) आश्रय विहिनो हेतु Creative activity तथा मनोरजन/इन्डोर खेल की व्यवस्था रखनी होगी।

(27) संस्था को सुनिश्चित करना होगा कि आश्रय स्थल पर कोई भूखा नहीं सोए। इस हेतु इन्दिरा रसोई योजना का लाभ लिया जा सकता है।

(28) अग्निशमन की व्यवस्था रखनी होगी।

(29) फर्स्ट एड किट की व्यवस्था रखनी होगी एवं साथ ही आश्रय विहीनो के स्वास्थ्य जॉच एवं वित्तीय साक्षरता के शिविर आयोजन करवाने होंगे।

(30) प्रवेश एवं निकास द्वार पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमेरे चालू हालत में रहे यह सुनिश्चित करना होगा। सी.सी.टी.वी. कैमरे मरम्मत व्यय तथा इन्टरनेट के शुल्क का भुगतान संस्था द्वारा किया जाएगा। सी.सी.टी.वी. केमरे चालू न होने पर 500/–प्रति दिवस की दर से शास्ती लगाई जाएगी।

(31) आश्रय स्थल पर लगे बल्ब, ट्युबलाईट, कूलर, पंखे आदि विद्युत उपकरण तथा लाईट फिटिंग की नियमित देखरेख संस्था द्वारा की जाएगी तथा इन्हें हर समय व्यवस्थित व चालू रखना होगा।

(32) संस्था का दायित्व होगा कि आश्रय स्थल के आस–पास (3 किमी की परिधि में) सड़क किनारे सो रहे व्यक्तियों को आश्रय स्थल की सुविधा का उपयोग लेने हेतु प्रेरित करें। इस हेतु शीतकाल मे रात्रि 10.00 से 2.00 बजे तक स्वयं के वाहन एवं संसाधन से क्षेत्र की गश्त करानी होगी एवं सडक किनारे सो रहे व्यक्तियो को आश्रय स्थल पहुचाना होगा। यदि शीत ऋतु में आश्रय स्थल की 3 किमी की परिधि में सड़क किनारे सोए किसी निराश्रित व्यक्ति की ठंड से मृत्यु हो जाती है तो तत्काल संस्था का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

(33) आश्रय स्थल मे किसी निराश्रित के बीमार हो जाने पर उसे अस्पताल पहुँचाने अथवा आश्रय स्थल मे किसी निराश्रित की मृत्यु हो जाने पर पुलिस कार्यवाही कर अन्तिम संस्कार करवाने की जिम्मेदारी संस्था के स्वयं की होगी।

(34) संस्था को आश्रय स्थल SMC (Shelter Management Committee) की प्रतिमाह नियमित बैठक आयोजित कर रिकार्ड रखना होगा।

(35) संस्था को आश्रय स्थलो मे ठहरने वाले व्यक्तियो की सूचना नगर निगम के निर्धारित प्रारूप मे प्रतिमाह भिजवानी होगी।

(36) महापौर, आयुक्त एवं जिला परियोजना अधिकारी (डे.एन.यु.एल.एम) की समिति को अधिकार होगा कि वो बिना कोई कारण बताये संचालन कार्य हेतु किये गए अनुबंध को समाप्त करें तथा आश्रय स्थल का संचालन निगम/अन्य संस्था से कराये जाने का निर्णय लें।

(37) आश्रय स्थल मे आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु उपलब्ध सामग्री का स्टॉक संस्था को मय रिकार्ड उपलब्ध करवायी जायेगी अनुबंध समाप्ति पर समस्त सामग्री मय रिकार्ड नगर निगम को लौटा कर NOC प्राप्त करनी होगी। सुपर्द वस्तुओ के चोरी/गुम या किसी भी प्रकार से श्रय होने पर इसकी जिम्मेदारी संस्था की स्वयं की होगी।

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

योग्य व अनुभवी संस्था का चयन

इस कार्य का मुख्य उद्देश्य बैघर एवं आश्रय विहीन व्यक्तियों को व्यवस्थित सम्मानजनक आश्रय उपलब्ध कराना है अतः चयन का आधार लागत न होकर गुणवत्ता व अनुभव हैं। गुणवत्ता व अनुभव का आधार निम्नानुसार रखा गया है जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली संस्था चयनित होगी तथा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का मासिक भुगतान संचालन कार्य पर किया जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी के तहत स्वयं के संसाधनो से संचालन का प्रस्ताव देने वाली कम्पनियों/संस्थाओं को सर्वोच्च वरीयता दी जाएगी।

क्र. सं.	गुणवत्ता का आधार	अधिकतम अंक 100
1	रजिस्ट्रेशन का वर्ष 1. वर्ष 18–19 के पश्चात् रजिस्टर्ड संस्थाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात् संस्था जिन का रजिस्ट्रेशन 19–20 व 20–21 तथा 21–22 में हुआ है आवेदन न करें। 2. 18–19 में रजिस्टर्ड संस्था के अंक–5 3. 18–19 से पूर्व रजिस्टर्ड संस्था के प्रत्येक वर्ष हेतु एक अंक अधिकतम 5 अंक–5	10
2	राज्य की संस्थाएँ 1. 3 वर्ष से राज्य में कार्यरत (वर्ष 20–21,21–22 व 22–23) –7 2. 3 वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष हेतु एक अंक अधिकतम 3	10
3	नगरीय क्षेत्र में समान प्रकृति का कार्य (छात्रावास संचालन, वृद्धाश्रम संचालन, अनाथालय संचालन) का अनुभव 1. दो वर्ष का होने पर अंक–10 2. दो वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष हेतु 1 अंक अधिकतम 5 अंक–5	15
4	नगरीय क्षेत्र में समान प्रकृति का कार्य वर्ष 20–21, 21–22 में निरन्तर करने व 22–23 में भी निरन्तर होने पर	15
5	टर्नओवर 1. वर्ष 20–21, 21–22 व 22–23 का औसत टर्नओवर 25.00 लाख होने पर अंक–3 2. 25.00 लाख से अधिक किन्तु 50.00 लाख होने पर अतिरिक्त अंक–7 3. 50.00 लाख से अधिक–10	10
6	डे.एन.यु.एल.एम योजना अन्तर्गत गठित एरिया लेवल व सिटी लेवल रजिस्टर्ड फेडरेशन होने पर 25 अंक	20
7	नगरीय क्षेत्र में समान प्रकृति का कार्य (छात्रावास संचालन, वृद्धाश्रम संचालन, अनाथालय संचालन) का संचालन (वार्षिक आधार पर गणना) 1. 3 समान प्रकृति के संचालन करने पर अंक–5 2. 5 से अधिक समान प्रकृति के संचालन करने अधिकतम 5 अंक–5	10
8	जिले की स्थानीय संस्था होने पर अंक–10 अन्य जिले की संस्था होने पर अधिकतम अंक–7 अन्य राज्य की संस्था होने पर अधिकतम अंक–5	10

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

दूरभाष स.0294-2421255, 2420013 , Helpline no.0294-2426262 वेबसाइट. www-udaipurmc.org.com

तकनीकी निविदा हेतु आवेदन

आवेदन पत्र शुल्क 590 रू (500+18% GST नोन रिफण्डेबल)

जमा होने का विवरण रसीद सं.....
डी.डी सं एवं दिनांक .....

कार्य का नाम– आश्रय स्थल .....का संचालन / संधारण

1. आवेदन पत्र प्राप्ति की प्रारम्भ दिनांक .....

2. आवेदन पत्र विक्रय की अन्तिम दिनांक व समय.....

3. प्राप्त आवेदनो को उपस्थित आवेदनकर्ताओ के समक्ष खोले जाने की दिनांक .....

3. भरे हुए आवेदन पत्र नगर निगम उदयपुर के कक्ष सं. 63 में जमा होने की अन्तिम दिनांक .....

4. कार्य के सम्बंध में परिचर्चा , शंका समाधान हेतु बैठक की दिनांक.....

आवेदनकर्ता का नाम .....

आवेदनकर्ता का पता .....

मोबाईल नं. .....

ई–मेल आई डी .....

पेन कार्ड नं. (प्रति संलग्न करें) .....

जी.एस.टी. नं. (प्रति संलग्न करें, यदि होतो) .....

संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता व अधार कार्ड तथा संस्था द्वारा अधिकृत करने का पत्र..... .....

घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि समस्त शर्ते भलीभांति पढ व समझ ली है तथा स्वीकार है। स्वीकृति स्वरूप प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय मोहर कर दिये गए है।

अधिकृत हस्ताक्षर मय नाम

तकनीकी निविदा के प्रमाण स्वरूप दस्तावेज

1 रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र
2 राज्य में कार्यरत होने के प्रमाण स्वरूप सचांलित परियोजनाओं के सम्बंध में दस्तावेज (प्रमाण पत्र सम्बधिंत विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा जारी)
3 समान प्रकृति के कार्य किये जाने के अनुभव सम्बन्धि दस्तावेज (प्रमाण पत्र सम्बधिंत विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा जारी)
4 टर्न ओवर हेतु प्रमाण पत्र सीए द्वारा (UDIN सहित)
5 डे.एन.यु.एल.एम योजना मे ALF/CLF/CLC होने पर सम्बन्धित निकाय से प्रमाण पत्र।
6 आवेदन शुल्क की जमा राशि का विवरण।
7 बोली प्रतिभूति राशि का विवरण।

अधिकृत हस्ताक्षर मय नाम